**भारत सरकार**

**पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं॰ 1473**

**दिनांक 01.01.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

## राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप–मिशन

**1473. श्री प्रभात झाः**

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप–मिशन की शुरुआत की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित सभी बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई समयावधि नियत की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**

**(श्री एस.एस. अहलूवालिया)**

(क) से (घ) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 4 वर्षों की अवधि में लगभग 28,000 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत दिनांक 22 मार्च,2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) की शुरूआत की थी। राज्य एनडब्ल्यूक्यूएसएम के अंतर्गत तीन प्रकार की स्कीमें चला सकते हैं, अर्थात सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीम, सुरक्षित भू-जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीम और शोधन प्रौद्योगिकी आधारित स्कीम सहित भू-जल/सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी)। पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिए केन्द्र तथा राज्य के बीच निधि की भागीदारी 90:10 तथा सभी अन्य राज्यों के लिए 50:50 होगी।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन के अंतर्गत फरवरी/मार्च, 2017 में चालू नल जलापूर्ति स्कीमों को पूरा करने के लिए 814.13 करोड़ रू. की निधियां जारी की गई हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन के लिए 1000 करोड़ रू. निर्धारित किए गए है। दिनांक 27 दिसम्बर,2017 तक, राज्यों को 1000 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं।